बिहार सरकार
कृषि विभाग

अधिसूचना

संख्या– 01 / ए0जी0 कोर्ट 09 / 14 .....सी०डब्लू०जे०सी०सं०–1237 / 2000 किरण देव कुमार बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में वादी के द्वारा कनीय प्रवर कोटि वेतनमान 3000–4500 रू० में प्रोन्नति दिनांक–27.10.1991 से तथा दिनांक–31.12.1993 से नियमित प्रोन्नति जिला कृषि पदाधिकारी के वेतनमान की मांग की गयी थी। इस याचिका में पारित न्यायादेश दिनांक–03.02.2005 का प्रवर्त्ती अंश इस प्रकार है:–

" This writ petition is allowed by declaring that the petitioner stood promoted in terms of the decision of the departmental promotion committee to the post of junior selection grade with effect from 27.10.1991 and accordingly he shall be given the benefit of the said promotion in all respect forthwith but not later than 8 weeks from the date of service of copy of this order upon the respondents. In addition to that the respondents shall consider and decide the claim of the petitioner for grant of regular promotion with effect from 31.12.1993 in the pay scale of District Agriculture Officer w.e.f.,31.12.1993 when his juniors were promoted to the said post within a period of 8 weeks from the date of service of a copy of this order upon the respondents."

श्री किरण देव कुमार, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (पाट) पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त को कनीय प्रवर कोटि वेतनमान 3000–4500 (अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति देने के प्रस्ताव पर दिनांक–16.07.2001 को प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार करते हुए प्रोन्नति के संबंध में अनुशंसा विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के कारण सीलबंद लिफाफे में रखा गया। दिनांक–03.02.2005 को पारित आदेश के आलोक में विभाग के पास सिर्फ दो ही विकल्प थे या तो पारित आदेश के विरूद्ध अपीलवाद दायर करना या फिर पारित आदेश का अनुपालन करना। परन्तु विभाग द्वारा न तो अपीलवाद दायर किया गया और न हीं पारित आदेश का अनुपालन किया गया। इनके दावे पर पुनः दिनांक–14.10.2016 को आयोजित प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार हुआ। इस बैठक में भी सिर्फ कनीय प्रवर कोटि वेतनमान 3000–4500 (अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति देने की अनुशंसा को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(B) के तहत विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के कारण सीलबंद लिफाफे में अनुशंसा को सुरक्षित रखा गया। वस्तुतः इस मामले पर दिनांक–14.10.2016 की बैठक में विचार हेतु रखना ही नहीं चाहिए था और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का अनुपालन करते हुए आदेश निर्गत कर देना चाहिए था और वरीय प्रवर कोटि वेतनमान 3700–5000 (अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति देने हेतु प्रस्ताव रखा जाना चाहिए था। समादेश याचिका संख्या–1237 / 2000 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने के उपरान्त आवेदक श्री किरण देव कुमार ने अवमाननावाद संख्या–2570 / 2015 दायर किया है। इस अवमाननावाद में विभाग द्वारा कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि समादेश याचिका संख्या–1237 / 2000 में पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री किरण देव कुमार, तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक (पाट) पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत्त को दिनांक–27.10.1991 से कनीय प्रवर कोटि वेतनमान 3000–4500 (अपुनरीक्षित) में प्रोन्नति दी जाती है।

10.9.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–01/ए०जी० कोर्ट 09/14 3347 /कृ0, पटना, दिनांक 10-09-2018

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित)/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

10.9.2018

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–01/ए०जी० कोर्ट 09/14 3347 /कृ0, पटना, दिनांक 10-09-2018

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.9.2018

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–01/ए०जी० कोर्ट 09/14 3347 /कृ0, पटना, दिनांक 10-09-2018

प्रतिलिपिः–संयुक्त कृषि निदेशक (पाट), पूर्णियाँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/श्री किरण देव कुमार, तत्कालीन कृषि निदेशक (पाट), पूर्णियाँ, सम्प्रति सेवानिवृत्त ग्राम+पोस्ट–कमरूद्दीनपुर, थाना–मुफसिल, भाया–उलाव, जिला–बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

10.9.2018

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।